रजिस्टर्ड नं0 एल0 33-एस0 एम0 13-14/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 24 अगस्त, 1998/2 भाद्रपद, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-171002, 24 अगस्त, 1998

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0 (6)-15/98-लेजिस.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21-8-98 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैन्शन) संशोधन विधेयक, 1998 (1998 का विधेयक संख्यांक 16) को 1998 के

3035-राजपत्र/98-24-8-98—1,350. (3209) मूल्य: 1 रुपया।

हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश क राजपत्र में प्रकाशित करने हैं ।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
सचिव (विधि) ।

1998 का अधिनियम संख्यांक 17

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 1998

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 21 अगस्त, 1998 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (1971 का 8) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 1998 है ।

धारा 3 का संशोधन ।

1971 का 8

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 में, "एक हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, "दो हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ii) में, "दो सौ" शब्दों के स्थान पर, "दो सौ पचास" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 4-ख का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4-ख में, "तीन हजार" शब्दों के स्थान पर "चार हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 5 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के प्रथम परन्तुक में, "तीन हजार" शब्दों के स्थान पर, "चार हजार" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 5-क का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 5-क में, "तीन सौ" शब्दों के स्थान पर, "पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 6 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 में, "साठ हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "अस्सी हजार शब्द" रखे जाएंगे ।

धारा 6-ख का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 6-ख में,—

(क) उप-धारा (1) में—

(*i*) "पांच वर्ष से अन्यून अवधि तक, चाहे निरन्तर या नहीं, सेवा की है प्रति मास एक हजार" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष तक किसी अवधि के लिए सेवा की है, प्रति मास एक हजार पांच सौ" शब्द रखे जाएंगे ;

(*ii*) विद्यमान प्रथम परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(*iii*) विद्यमान द्वितीय परन्तुक में, "यह और कि" शब्दों का लोप किया जाएगा और "पांच वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति मास सौ रुपये की अतिरिक्त पेन्शन संदत्त की जाएगी, किन्तु ऐसे व्यक्ति को संदेय पेन्शन किसी भी दशा में प्रति मास राज्य सरकार के उच्चतम् श्रेणी-1 के अधिकारी को अनुज्ञेय अधिकतम् पेन्शन से अधिक नहीं होगी" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष से अधिक प्रत्येक वर्ष के लिए प्रति मास एक सौ पचास रुपये की अतिरिक्त पेन्शन संदत्त की जाएगी, किन्तु ऐसे व्यक्ति को संदेय पेन्शन किसी भी दशा में प्रति मास तेरह हजार रुपये से अधिक नहीं होगी" शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

(ख) उप-धारा (1-अ) का लोप किया जाएगा ।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 17 of 1998.

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT ACT, 1998

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 21ST AUGUST, 1998)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-ninth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 1998.

Amendment of section 3.

8 of 1971

2. In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter called the principal Act), for the words "one thousand and five hundred", the words "two thousand and five hundred" shall be substituted.

Amendment of section 4.

3. In section 4 of the principal Act in sub-section (1), in clause (*ii*), for the words "two hundred", the words "two hundred and fifty" shall be substituted.

Amendment of section 4-B.

4. In section 4-B of the principal Act, for the words "three thousand", the words "four thousand and five hundred" shall be substituted.

Amendment of section 5.

5. In section 5 of the principal Act, in the first proviso to sub-section (2), for the words "three thousand", the words "four thousand" shall be substituted.

Amendment of section 5-A.

6. In section 5-A of the principal Act, for the words "three hundred" the words "five hundred" shall be substituted.

Amendment of section 6.

7. In section 6 of the principal Act, for the words "sixty thousand", wherever these occur, the words "eighty thousand" shall be substituted.

Amendment of section 6-B.

8. In section 6-B of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1)—

(*i*) for the words and figures "Rs. 1000 per mensem to every person who has served for a period of not less than 5 years whether continuous or not", the words and

figures "Rs. 1,500 per mensem to every person who has served for any period upto five years" shall be substituted ;

(*ii*) the first proviso shall be deleted;

(*iii*) in the second proviso, the word "further" shall be omitted and for the words, figures and signs "Rs. 100/- per mensem for every year in excess of five, so, however, that in no case the pension payable to such persons shall not exceed the maximum pension admissible to the highest Grade-I Officer of the State Government", the words , figures and sign "Rs. 150/- per mensem for every year in excess of five, so however, that in no case the pension payable to such person shall exceed Rs. 13,000/- per mensem" shall be substituted;

(*b*) sub-section (1-A) shall be omitted.

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।